न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 52/2021

जब्बार पुत्र कमल खाँ जाति मेव निवासी धीमरी तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी एवं भू–प्रबन्धक महोदय, पहाडी तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0।
2. इदरीश पुत्र कमरचन्द जाति मेव निवासी धीमरी तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी

दिनांक :– 22/04/2022

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 499/0.16 , 1174/0.16 हैक्टर बांके ग्राम धीमरी तहसील पहाडी आराजी खसरा नम्बर 499/0.16, प्रार्थी की खातेदारी की तथा खसरा नम्बर 1174/0.16 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की आराजी है प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर काबिज काश्त है लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी की आराजी की तरमीम कायम करते समय प्रार्थी की आराजी का मौका व कब्जा का मुआयना व जाँच पडताल किये बिना ही गलत रूप से तरमीम कायम कर दी गई जो कि खिलाफ कानून मौका कब्जा है। प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 499 का रिकॉर्डेड खातेदार है व अप्रार्थी संख्या 2 खसरा नम्बर 1174 का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी मौके पर रिकॉर्ड में दर्शित तरमीम के खसरा नम्बर 1174 के स्थान पर काबिज काश्त है और इसी जगह पर करीब अर्सा से काबिज काश्त करता चला आ रहा है लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 2 को तथा अप्रार्थी संख्या 2 के स्थान पर प्रार्थी को रिकॉर्ड में दर्शित कर तरमीम कायम कर दी गई हैं। जो कि खिलाफ कानून व मौका है। जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी आ रही है। उक्त गलत तरमीम का इल्म प्रार्थी को नकल लेने पर हुई

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

जिसकी शुद्धि कराने प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के यहाँ प्रस्तुत हुआ तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया और न्यायालय से आदेश लाने के लिये कहा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकॉर्ड में की गई गलत तरमीम को शुद्ध कर प्रार्थी के मौका व कब्जानुसार सही तरमीम करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आया उसके विरूद्ध दिनांक 04/04/2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 31/03/2022 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाव/मौका पर्चा इस आशय का पेश किया कि आज दिनांक 10/02/2022 को आराजी खसरा नम्बर 499/0.16, 1174/0.16 बांके ग्राम धीमरी के मौके पर पंहुँचा मौके पर पहुँच कर मजमे आम में उक्त नम्बरों की जानकारी ली गई । मुताबिक मौके व कब्जेनुसार लोगो ने बताया कि आराजी खसरा नम्बर 499 रकबा 0.16 हैक्टर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 –78 में जब्बार पुत्र कमल खाँ जाति मेव खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि मुताबिक मौका के खसरा नम्बर 499 रकबा 0.16 हैक्टर पर इदरीश पुत्र कमरचन्द जाति मेव कब्जे काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.16 हैक्टर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में इदरीश कमरचन्द खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जबकि मुताबिक मौका के आराजी खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.16 पर जब्बार पुत्र कमल खाँ जाति मेव कब्जे काश्त है। मौकेपर मजमे आम में मौका पर्चा तैयार कर पढकर सुनाया गया तथा उपस्थित लोगो के अंगूठा/हस्ताक्षर करवाये गये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अंपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाव/मौका पर्चा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 499/0.16 प्रार्थी एवं खसरा नम्बर 1174/0.16 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड (मिशल बन्दोबस्त) के आराजी खसरा नम्बर 499 व 1174 साविक खसरा नम्बर 889 के ही हिस्से है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट हाल खसरा नम्बर 499/0.16 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जब्बार पुत्र कमल खाँ जाति मेव खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वर्तमान में अप्रार्थी इदरीश पुत्र कमरचन्द जाति मेव का कब्जा है। एवं हाल खसरा नम्बर 1174/0.16 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड इदरीश पुत्र कमरचन्द जाति मेव खातेदार के नाम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

रिकॉर्ड है। जिस पर वर्तमान में जब्बार पुत्र कमल खॉं जाति मेव के कब्जे में है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा सं0 499 पर प्रार्थी का नाम कलमजन कर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम दर्ज किया जाता है। एवं आराजी खसरा सं0 1174 पर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम कलमजन कर प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 10.02.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 22/04/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड पहाडी
उप जिला कलेक्टर